UPBB010067432022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (N.D.P.S.Act), न्यायालय संख्या–10, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3322/2022

मो०अकरम उम्र 20 वर्ष पुत्र मो०शफीक, निवासी ग्राम मरकामऊ, थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी। ----प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार--------------------विपक्षी/अभियोजन।

अपराध संख्या–450/2022
धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–असन्द्रा, जिला बाराबंकी।

दिनांक 19.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त मो०अकरम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 450/2022, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना असन्द्रा, जिला बाराबंकी, के मामले में जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त की ओर से शपथपत्र पैरोकार मो०हुसैन द्वारा दाखिल किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा मे है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है उक्त वाद मे उसे झूठा फसाया गया है। प्रार्थी के पास से कोई भी नाजायज वस्तु बरामद नही हुयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रकरण मे एन०डी०पी०एस०एक्ट के प्राविधानो का अनुपालन नही किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी दिनांक 02-10-2022 से जिला कारागार, बाराबंकी मे निरूद्ध है। प्रार्थी दौरान मुकदमा अपनी जमानत देने को तैयार है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से ज़मानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया और यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त मो०अकरम के पास से बरामदशुदा माल नाजायज स्मैक 105 ग्राम वजन व एक अन्य सहअभियुक्त के पास से 36 ग्राम अवैध स्मैक कुल बरामद पदार्थ स्मैक की मात्रा 141ग्राम पायी गयी है। ज़मानत का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाए।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फ़ौज़दारी) की बहस सुनी गयी व उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

फर्द बरामदगी के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त अभियुक्त मो०अकरम के पास से बरामदशुदा माल नाजायज स्मैक 105 ग्राम वजन व एक अन्य सहअभियुक्त के पास से 36 ग्राम अवैध स्मैक कुल बरामद पदार्थ स्मैक की मात्रा 141 ग्राम पायी गयी है। गिरफ्तारी का समय व स्थान फर्द में उल्लिखित किया गया है। फर्द बरामदगी के आधार पर स्पष्ट है कि बरामद माल स्मैक को मौके पर ही सील सर्व मुहर किया गया है। एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानों का अनुपालन किया गया अथवा नहीं यह साक्ष्य का विषय है। अतः मामले में बरामद मादक पदार्थ की मात्रा व मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुये मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचार व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मो०अकरम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 450/2022, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना असन्द्रा, जिला बाराबंकी के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(राजीव कुमार।।)
J.O. Code No.UP06466
विशेष न्यायाधीश (N.D.P.S.Act),
न्यायालय संख्या–10, बाराबंकी।

दिनांक–19–10–2022